13-5-15 | पत्रावली पेश हुई/~~वकील वादी~~/वकील उभयपक्ष उपस्थित है। श्रीमान् P.O. साहब दौरे पर है। ~~अवकाश पर है/का स्थानान्तरण हो गया है।~~ अत: पत्रावली दि० 18-5-15 को पेश हो। | 1348-51 16-5-14

रीडर

18-5-15 वकील उभयपक्ष उपस्थित हैं। पत्रावली सुनवाई हेतु लोक अदालत में कैम्प हीरापुर पर दि० 25-5-15 को रखी जावे। पक्षकारों को नोटिस जारी किए जावे।

25-5-15 पत्रावली आज लोक अदालत कैम्प हीरापुर पर पेश हुई। वादी मिश्रिया व प्रतिवादी सुखराम उप० है। पक्षकारों ने राजीनामा इस आशय का पेश किया कि ग्राम बाढ रखवा में ख०नं० 56 प्रतिवादी के नाम गलत दर्ज हो गया है। अत: ख०नं० $\frac{56}{0.45}$ को वादी के नाम दर्ज किया जावे।

पक्षकारों को सुना गया। प्रस्तुत अभिलेख का अवलोकन किया गया। मांग्या व मिश्रिया द्वारा साबिक ख०नं० 59 रकबा 1 बीघा 15 बिस्वा भूमि सुखराम को बेची गई थी। इसके नवीन नम्बर $\frac{56}{0.45}$ का नामान्तरकरण नं० 1 दि० 26-5-86 सुखराम के नाम दर्ज हो गया। इसके बाद ख०नं० $\frac{121}{0.51}$ का अंकन सुखराम के नाम नामा०नं० 193 दि० 16/11 से भी कोर्ट आदेश की पालना में हो गया। इस प्रकार सुखराम को उसके द्वारा खरीदी गई भूमि साबिक ख०नं० 59 रकबा 1 बीघा 15 बिस्वा के बदले में ख०नं० $\frac{56}{0.45}$, $\frac{121}{0.51}$ मिल गई है। अर्थात सुखराम को एक बार खरीदी गई भूमि के बदले में दो बार भूमि दे दी गई है। प्रस्तुत राजीनामे में पक्षकारों ने (वादी) ने स्वयं को नाथी बेवा मांग्या का वारिस बताते हुए ख०नं० $\frac{56}{0.45}$ की

मिसर्या बनाम सुखराम कोरी
दावा



| नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए | तारीख हुक्म | हुक्म या कार्यवाही मय इनिसियल जज | नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए |
|---|---|---|---|
| 1348-51<br>16.6.14 | | खातेदारी अपने नाम चाही है। सरपंच ग्राम पंचायत एवं सचिव ग्राम पंचायत हरिसपुर ने भी एक प्रमाण पत्र जारी कर वादी को ही मृतक नाथी का वारिस होना बताया है। वादी द्वारा प्रस्तुत नकल राजस्व अभिलेख से एवं वादी व प्रतिवादी द्वारा प्रस्तुत राजीनामे से वादी के दावे की पुष्टि होती है।<br>अतः वादी का दावा वादी व प्रतिवादी द्वारा प्रस्तुत राजीनामा के अनुसार डिक्री किया जाकर भूमि ख०नं० $\frac{56}{0.45}$ ग्राम बाढ रखवाड़ा का वादी मिसर्या पुत्र चुन्ना कोली निवासी ग्राम बाढ रखवाडा का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। यह भूमि प्रतिवादी सुखराम पुत्र गौरीलाल जाति कोली निवासी बाढ रखवाडा की खातेदारी से कम की जाकर वादी मिसर्या पुत्र चुन्या, कोली की खातेदारी में दर्ज की जावे। पर्चा डिक्री जारी किया जावे। पालना हेतु तहसीलदार गंगापुर सिटी को लिखा जावे। पत्रावली फैसलशुमार होकर नम्बर से कम हो एवं बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। (मुनि देव यादव)<br>अध्यक्ष<br>लोक अदालत<br>गंगापुर सिटी<br>एवं<br>उप जिला कलेक्टर<br>गंगापुर सिटी<br>कैम्प हरिसपुर<br>(रवि कुमार शर्मा Adv.)<br>सदस्य<br>लोक अदालत<br>गंगापुर सिटी | |

| नम्बर व तारीख |
| --- |
| अहकाम जो इस |
| हुक्म की तामील |
| में जारी हुए |

4

प्रपत्र–5

# मूल वाद में डिक्री

(आदेश 20 के नियम 6 और 7)

## न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर, गंगापुर सिटी

## (पीठासीन अधिकारी लोक अदालत / केम्प कोर्ट) कैम्प हीरापुर

पीठासीन अधिकारी :– मुनिदेव यादव, R.A.S.

उनवान

मिम्मया पुत्र चुन्या कोली, बाढटरवाडा बनाम सुखराम वगैरह

दावा बाबत घोषणा खातेदारी, इन्द्राज दुरुस्ती, स्थाई निषेधाज्ञा

मुकदमा नम्बर :– 17/2015

निर्णय दिनांक :– 25-5-2015

वादी की ओर से मिम्मया पुत्र चुन्या, कोली की व प्रतिवादी की ओर से सुखराम कोली की उपस्थिति में इस वाद में आज तारीख 25-5-2015 को मुनिदेव यादव (नाम पीठासीन अधिकारी)...... mi[k.M vf/kdkjh ~~कलेक्टर~~ उपजिला कलेक्टर के समक्ष अन्तिम निपटारे के लिए पेश होने पर, आदेश किया जाता है और डिक्री दी जाती है कि –

पक्षकारों द्वारा लोक अदालत मे प्रस्तुत राजीनामे के अनुसार वादी मिम्मया पुत्र चुन्या, कोली, बाढटरवाडा को भूमि खसरा नं. 56 रकबा 45 एयर ग्राम बाढटरवाडा का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। यह भूमि प्रतिवादी सुखराम पुत्र भौरीलाल कोली, बाढटरवाडा की खातेदारी से कम की जाकर वादी मिम्मया की खातेदारी में दर्ज की जाने एवं इसी अनुसार रेकार्ड मे दुरुस्ती की जावे।

खर्चा पक्षकारान अपना–अपना वहन करेंगे।

यह आज तारीख 25-5-2015 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगाकर दी गई।

(मुनिदेव यादव R.A.S.)
पीठासीन अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर, गंगापुर सिटी
उप जिला कलेक्टर गंगापुर सिटी
कैम्प हीरापुर

## वाद के खर्चे

| वादी | | प्रतिवादी | |
| --- | --- | --- | --- |
| | रुपया | | रुपया |
| शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प<br>..... पत्र के लिए स्टाम्प<br>अर्जी के लिए स्टाम्प<br>____ रुपये पर प्लीडर की फीस<br>साक्षियों के लिए निर्वाह–व्यय<br>कमिश्नर की फीस<br>आदेशिका की तामिल | — | शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प<br>अर्जी के लिए स्टाम्प<br>प्लीडर की फीस<br>साक्षियों के लिए निर्वाह व्यय<br>आदेशिका की तामील<br>कमिश्नर की फीस | — |
| जोड़ | | जोड़ | |